न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/2496 विरूद्ध आदेश दिनांक 18-7-17 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 55/2015-16/अपील.

रोशन सिंह पुत्र किशनलाल
निवासी ग्राम सिकरौदा फुटकर
परगना व जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरुद्ध

1- बेताल सिंह पुत्र बृजलाल
2- लालसिंह पुत्र बृजलाल
3- राजवीर पुत्र बृजलाल
4- भवानी पुत्र रामचन्द्र
5- मोहरसिंह पुत्र रामचन्द्र
निवासीगण ग्राम सिकरौदा फुटकर
परगना व जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री अवधेश राजौरिया, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 18-7-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा अपर तहसीलदार वृत्त हस्तिनापुर के प्रकरण क्रमांक 28/11-12/अ-27 में पारित आदेश दिनांक 20-5-2015 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण जिला ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 1-9-16 को एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 55/15-16/अपील दर्ज कर दिनांक 18-7-17 को आदेश पारितकर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में यह नहीं दर्शाया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 24-8-2016 को किस कार्य से पटवारी से सम्पर्क किया गया । इस आधार पर कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं दर्शाया गया है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण भी नहीं दर्शाया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों पर बिना विचार किये अति संक्षिप्त प्रकृति का आदेश पारित किया गया है, जबकि उन्हें सकारण बोलता हुआ आदेश पारित करना चाहिए था ।

4/ अनावेदकगण शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में अनावेदकगण को आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और न ही आदेश की सूचना दी गई है । ऐसी स्थिति में जानकारी के दिनांक से समय-सीमा की गणना की जायेगी । अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 2005 आर.एन. 184 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि बटवारे के प्रकरण में अनेक सहखातेदार होने के उपरान्त भी अपर तहसीलदार द्वारा मात्र आवेदक को

सुनकर बटवारा आदेश पारित किया गया है, जो कि वैधानिक एवं उचित नहीं है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । इस सम्बन्ध में 1993 आर.एन. 183 किशनलाल तथा अन्य विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी म.प्र.तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

> "परिसीमा-आरंभ होने का बिंदु-प्रभावित पक्षकार को सूचना नहीं दी गई और उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया-वाक्य "आदेश की तारीख" -अर्थ-"आदेश की जानकारी की तारीख" के रूप में अर्थान्वयन करना और पढ़ना होगा ।
> "शब्द तथा वाक्य- वाक्य "आदेश की तारीख"- अर्थ-प्रभावित पक्षकार को सूचना नहीं दी गई और उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया- वाक्य "आदेश की तारीख" का "आदेश की जानकारी की तारीख" के रूप में अर्थान्वयन करना और पढ़ना होगा ।"

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 18-7-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर